Toppersnotes®
Unleash the topper in you

RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)

भाग – 7

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

SIERRA INNOVATIONS

RAS

भाग-7

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था

S.No.	Chapter Name	Page No.
1.	**संविधान सभा** • संविधान सभा की कार्य प्रणाली • उद्देश्य प्रस्ताव • भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, के बाद परिवर्तन 1947 • संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य- • संविधान सभा की समितियां - • संविधान का प्रभाव में आना • संविधान सभा की आलोचना- • महत्वपूर्ण तिथियां - संविधान सभा से संविधान तक	1
2.	**संविधान की मुख्य विशेषताएँ** • भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियां	5
3.	**प्रस्तावना** • प्रस्तावना के मूल तत्व • प्रस्तावना में प्रमुख शब्द • संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना	10
4.	**मौलिक अधिकार** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक अधिकारों की उत्पत्ति • मौलिक अधिकारों की विशेषताएं • समानता का अधिकार अनुच्छेद)14-18) • स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद)19-22) • शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद)23-24) • धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद)25-28) • संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार अनुच्छेद)29-30) • संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद)32) • मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध • मार्शल लॉ सैनिक विधि)) और मौलिक अधिकार • संविधान के भाग III के बाहर के अधिकार • मौलिक अधिकारों के अपवाद • मौलिक अधिकारों का महत्व • मौलिक अधिकारों की आलोचना	13
5.	**राज्य नीति के निदेशक तत्व** • संवैधानिक प्रावधान • निदेशक सिद्धांतों की विशेषता • निदेशक सिद्धांतों का वर्गीकरण • समाजवादी सिद्धांत • गांधीवादी सिद्धांत	39

	• उदारबौद्धिक सिद्धांत- • बाद में जोड़े गए नए निदेशक तत्व • निदेशक तत्वों की उपयोगिता • राज्य नीति के निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन • संविधान के भाग IV के बाहर निदेशक तत्व • मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच संघर्ष	
6.	**मौलिक कर्तव्य** • संवैधानिक प्रावधान • मौलिक कर्त्तव्यों की विशेषताएँ • मौलिक कर्त्तव्यों की आलोचना • मौलिक कर्त्तव्यों का महत्व • मौलिक कर्त्तव्यों पर वर्मा समिति की टिप्पणियाँ (1999)	**49**
7.	**संवैधानिक संशोधन** • संवैधानिक प्रावधान • संशोधन के प्रकार • संशोधन की प्रक्रिया • संशोधन प्रक्रिया की आलोचना • संविधान में संशोधन के ऐतिहासिक मामले • महत्त्वपूर्ण संशोधन	**52**
8.	**संविधान का मूल ढांचा** • उदभव • मूल संरचना के घटक • बुनियादी संरचना के सिद्धांत का महत्व • बुनियादी संरचना के सिद्धांत की सीमाएँ	**62**
9.	**संसदीय प्रणाली** • संवैधानिक प्रावधान • संसदीय सरकार • संसदीय सरकार की विशेषताएँ • संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली में अंतर • संसदीय प्रणाली के गुण • संसदीय प्रणाली के दोष • भारतीय संसदीय प्रणाली बनाम ब्रिटिश संसदीय प्रणाली का मॉडल	**67**
10.	**राष्ट्रपति** • संघ कार्यकारिणी • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रपति का चुनाव • योग्यता • राष्ट्रपति कार्यालय के लिए शपथ • राष्ट्रपति कार्यालय की उन्मुक्तियाँ और विशेषाधिकार • राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग • राष्ट्रपति कार्यालय में रिक्ति • राष्ट्रपति की शक्तियाँ	**71**
11.	**प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्** • संबंधित संवैधानिक प्रावधान • शपथ • योग्यता • कार्यकाल	**81**

	• परिलब्धियाँ • प्रधानमंत्री की शक्तियाँ • राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संबंध • केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् • संयोजन • मंत्री की नियुक्ति • मंत्रियों की शपथ • मंत्रियों का वेतन • मंत्रियों की जिम्मेदारी • किचन कैबिनेट/आंतरिक कैबिनेट • छाया मंत्रिमंडल • कैबिनेट समितियाँ • मंत्रियों के समूह	
12.	**संसद** • संवैधानिक प्रावधान • संसद की संरचना • संसद की सदस्यता • संसद के पीठासीन अधिकारी • संसद में नेता • संसद के सत्र • संसद में विधायी प्रक्रिया • सदनों की संयुक्त बैठक • संसद में बजट • केन्द्र सरकार के लिए निधियाँ • संसद की शक्तियां और कार्य • प्रशासन और सरकार पर संसदीय नियंत्रण • राज्यसभा की स्थिति • संसदीय विशेषाधिकार • संसद की संप्रभुता • संसदीय समितियाँ • संसदीय मंच (Parliamentary Forums)	**91**
13.	**संघवाद** • संघीय प्रणाली के विषय • भारतीय संघीय प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन • भारतीय संघवाद के समक्ष उपस्थित प्रमुख चुनौतियाँ	**134**
14.	**केन्द्र राज्य संबंध** • संवैधानिक प्रावधान • विधायी संबंध • अवशिष्ट विषय • राज्य क्षेत्र में संसदीय विधान • प्रशासनिक संबंध • अखिल भारतीय सेवाएँ • लोक सेवा आयोग • वित्तीय संबंध • आपात स्थिति के प्रभाव	**138**
15.	**आपातकालीन प्रावधान** • संवैधानिक प्रावधान • राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) • राज्य आपातकाल • वित्तीय आपातकाल	**153**

	• आपातकालीन प्रावधानों की आलोचना	
16.	**उच्चतम न्यायलय** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • नियुक्ति • सर्वोच्च न्यायालय (महाभियोग) के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया • उच्चतम न्यायालय का स्थान • न्यायालय की स्वतंत्रता • उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां • न्यायालय की शक्तियां • उच्चतम न्यायलय के अधिवक्ता	**159**
17.	**उच्च न्यायलय** • संवैधानिक प्रावधान • इतिहास • संयोजन • नियुक्ति • उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार • शक्तियां • उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता • विशेष उल्लेख	**166**
18.	**न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता** • न्यायिक समीक्षा • संवैधानिक प्रावधान • न्यायिक समीक्षा का दायरा • न्यायिक सक्रियता • जनहित याचिका	**170**
19.	**भारत निर्वाचन आयोग** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • शक्तियां • कार्य • भारत निर्वाचन का महत्व	**175**
20.	**नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक** • संवैधानिक प्रावधान • पद की नियुक्ति और शपथ • शक्तियां और कर्तव्य • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और सार्वजनिक निगम • भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनाम ब्रिटेन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक • विनोद राय (पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक) की सिफारिशें • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की आलोचना	**178**
21.	**संघ लोक सेवा आयोग (UPSC)** • संवैधानिक प्रावधान • संयोजन • योग्यता • यूपीएससी के कार्य • यूपीएससी की सीमाएं	**182**

22.	**नीति आयोग** • उद्देश्य • मार्गदर्शक सिद्धांत • संयोजन • कार्य • नीति आयोग की प्रासंगिकता • चिंता और चुनौतियां • उपलब्धियाँ • सूचकांक	**186**
23.	**केन्द्रीय सतर्कता आयोग** • संरचना • नियुक्ति • कार्य • लोकपाल	**189**
24.	**केन्द्रीय सूचना आयोग** • संरचना • योग्यता • शक्तियां और कार्य	**192**
25.	**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** • उद्देश्य • संयोजन • नियुक्ति • शक्तियां और कार्य • सीमाएँ	**194**
26.	**लोकपाल और लोकायुक्त** • पृष्ठभूमि • नियुक्ति • लोकपाल के क्षेत्राधिकार • लोकपाल की शक्तियां • कार्य • लोकायुक्त की मुख्य विशेषताएं • सीमाएँ	**198**
27.	**भारतीय राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका** • भारतीय राजनीति में "जाति व्यवस्था की भूमिका" • धर्म • भारतीय राजनीति पर धर्म का प्रभाव	**201**
28.	**राजनीतिक दल** • प्रकार • विभिन्न राजनीतिक विचारधारा • विश्व में दलीय व्यवस्था • राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों को मान्यता • क्षेत्रीय दल	**206**
29.	**गठबंधन सरकारें** • विशेषताएं • गठबंधन सरकार के अवगुण और गुण	**209**
30.	**भारत में लोकतान्त्रिक राजनीति**	**211**

	• लोकतंत्र शासन व्यवस्था के प्रकार • भारतीय लोकतंत्र के मूल्य • भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ • सुधारक उपाय • लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका • लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदम • लोकतंत्रीकरण और असमानता	
31.	**राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन** • सीमा आयोग • संसाधनों का विभाजन • रियासतों का एकीकरण • इंस्ट्रूमेंट ऑफ़ एक्सेशन • विलय प्रक्रिया • हैदराबाद • जूनागढ़ • कश्मीर • कांग्रेस ने विभाजन को क्यों स्वीकार किया? • राज्यों का पुनर्गठन • भाषाई राज्यों के लिए आंदोलन • भाषाई प्रांत आयोग (या धर आयोग) • जेवीपी समिति • राज्य पुनर्गठन आयोग (एसआरसी) या फजल अली आयोग: • राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956: • 1956 के बाद बने नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश • शाह आयोग और हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश का गठन	**217**
32.	**नागरिक समाज एवं राजनीतिक आंदोलन** • नागरिक समाज • नागरिक समाज की विशेषताएं • नागरिक समाज की भूमिका • नागरिक समाज के अंग • भारत में नागरिक समाज	**228**
33.	**राष्ट्रीय अखंडता एवं सुरक्षा से जुड़े मुद्दे** • जातिवाद • साम्प्रदायिकता • प्रान्तीयता • राजनीतिक दल • विभिन्न भाषायें • सामाजिक विभिन्नता • आर्थिक विभिन्नता • नेतृत्व का अभाव • आधुनिक शिक्षा • आंतरिक सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न चुनौतियाँ • आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के उपाय • नक्सलवाद • समाधान (SAMADHAN) नीति • द्वितीय ARC द्वारा सुझाव:	**231**

1 CHAPTER संविधान सभा

कैबिनेट मिशन योजना ने भारत की एक **संविधान सभा की स्थापना** का **प्रावधान** किया था।

- **कुल सदस्य** = 389 आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत
  - **296 सीटें ब्रिटिश भारत** को आवंटित की गईं।
    - **292 सदस्य** - 11 गवर्नर्स के प्रांतों से
    - **4 सदस्य** - 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से
  - **रियासतों** को **93** सीटें दी गईं।
- उनकी संबंधित **जनसंख्या** के **अनुपात में सीटों का** आवंटन किया गया था।
- प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को **आवंटित सीटों** को **मुसलमानों**, **सिखों** और **जनरल** (अन्य) के बीच उनकी **जनसंख्या** के **अनुपात में विभाजित** किया जाना था।
- प्रत्येक समुदाय के **प्रतिनिधियों का चुनाव** उस समुदाय के सदस्यों द्वारा **आनुपातिक प्रतिनिधित्व** द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता था।

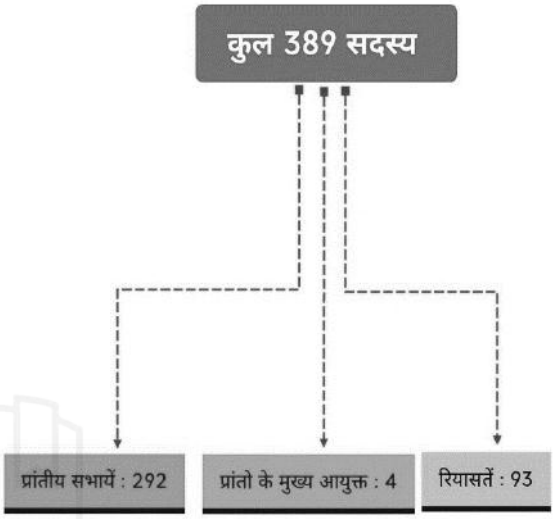

- रियासतों के प्रतिनिधियों को **देशी रियासतों** के **प्रमुखों** द्वारा **मनोनीत** किया जाता था।
- **सदस्यों** का **चुनाव अप्रत्यक्ष रूप** से प्रांतीय **विधानसभाओं** के **सदस्यों** द्वारा किया जाता था।
- **जनता** की **भावनाओं** को **प्रस्तुत नहीं** किया, क्योंकि **प्रांतीय विधानसभाओं** के सदस्य **सीमित मताधिकार** पर चुने जाते थे।
- **ब्रिटिश भारतीय प्रांतों** के लिए **चुनाव जुलाई-अगस्त**, 1946 में हुए।
  - **भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस** ने 208 सीटें जीतीं।
  - **मुस्लिम लीग** ने 73 सीटें जीती।
  - 15 सीटें **निर्दलीय** प्रतिनिधियों को मिली।
- रियासतों की **सीटें नहीं भरी** गई क्योंकि उन्होंने **खुद को विधानसभा** से अलग रखने का **निर्णय** लिया|
- सभा में समाज के **हर वर्ग के प्रतिनिधि** थे, लेकिन तत्कालीन हस्तियों में से महात्मा गाँधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे।
- **28 अप्रैल, 1947** को 6 राज्यों के प्रतिनिधि विधानसभा का हिस्सा बने।
- **3 जून, 1947** की **माउंटबेटन योजना** के बाद, अधिकांश रियासतों ने सभा में प्रवेश किया।
- बाद में **भारतीय अधिराज्य** से **मुस्लिम लीग भी सभा** में शामिल हो गई।

संविधान सभा की कार्य प्रणाली

- **पहली बैठक-** 9 दिसम्बर, 1946
  - केवल **21 सदस्यों** ने भाग लिया।
- **मुस्लिम** लीग ने बैठक का **बहिष्कार** किया और **पाकिस्तान** के रूप में एक अलग देश की **माँग** की।
- **डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा** विधानसभा के **अस्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुने गए, (फ्रांस प्रथा की तरह)।
- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को विधानसभा के **स्थायी अध्यक्ष** के रूप में चुना गया था।
- **उपाध्यक्ष** : एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी।

उद्देश्य प्रस्ताव

- **13 दिसम्बर, 1946** को **पंण्डित जवाहर लाल नेहरू** द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया।
  - **22 जनवरी, 1947** को सर्वसम्मति से विधानसभा द्वारा **स्वीकृत** कर लिया गया।
- **महत्वपूर्ण प्रावधान-**
  - भारत को **स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य** घोषित किया।
  - भारत, इसमें शामिल होने वाले **ब्रिटिश भारत के क्षेत्रों का संघ** होगा।
- **सीमाएँ संविधान सभा द्वारा निर्धारित** की जाएँगी।
  - इसके पास **अवशिष्ट शक्तियाँ** भी होंगी और **सरकार** और **संघ** में निहित प्रशासन की **सभी शक्तियों** और **कार्यों का प्रयोग** करेगी।
  - **संप्रभु स्वतंत्र भारत** की सभी **शक्तियाँ** और **अधिकार भारत की जनता** से प्राप्त होगी।
  - **भारत** के **सभी लोगों को दिया** जाएगा:
    - न्याय- सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
    - अवसर की स्थिति और कानून के समक्ष समानता;
    - विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, संगति और कर्म की स्वतंत्रता।
  - दुनिया में अपना सही और **सम्मानित स्थान** प्राप्त करना और **विश्व शांति** को बढ़ावा देने और **मानव जाति** के कल्याण के लिए अपना पूर्ण और इच्छुक योगदान देना।

भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 के बाद परिवर्तन

- **संविधान सभा** → संविधान बनाने के लिए पूरी तरह से **संप्रभु निकाय** बनाया गया।
- देश के लिए **संविधान बनाने** और **सामान्य कानून** बनाने के लिए **जिम्मेदार विधायी निकाय** बन गया।
  - **संवैधानिक निकाय** के रूप में काम किया → अध्यक्ष: डॉ. राजेंद्र प्रसाद।
  - एक **विधायिका** के रूप में → जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष बने (26 नवम्बर, 1949 तक)।
- **मुस्लिम लीग** संविधान सभा से **अलग हो** गई।
  - संविधान सभा की **कुल सदस्य संख्या** 389 से घटकर **299** रह गई।
  - भारतीय प्रांतों की कुल सदस्य संख्या 296 से घटकर 229 हो गई
  - रियासतों की कुल सदस्य संख्या 93 से 70 हो गईं।

संविधान सभा द्वारा निष्पादित अन्य कार्य-

- **मई 1949** में भारत की **राष्ट्रमंडल की सदस्यता की पुष्टि** की।
- भारत के **राष्ट्रीय ध्वज** को 22 जुलाई, 1947 को अपनाया गया।
- **राष्ट्रगान** को 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया।
- **डॉ. राजेन्द्र प्रसाद** को 24 जनवरी, 1950 को **भारत के पहले राष्ट्रपति** के रूप में चुना गया।
- **संविधान सभा** ने 24 जनवरी, 1950 को अपना **अंतिम सत्र** आयोजित किया लेकिन **26 जनवरी, 1950** से **1951-52** में **पहले आम चुनाव** होने तक **अंतरिम संसद** के रूप में कार्य जारी रखा।

संविधान सभा की समितियाँ

	समिति	अध्यक्ष
प्रमुख समितियाँ	संघीय शक्ति समिति	जवाहरलाल नेहरू
	संघीय संविधान समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रांतीय संविधान समिति	सरदार पटेल
	प्रारूप समिति	डॉ. बी.आर.अंबेडकर

	मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति (परामर्शदाता समिति)	सरदार पटेल
	प्रक्रिया नियम समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	राज्यों के लिये समिति (राज्यों से समझौता करने वाली)	जवाहरलाल नेहरू
	संचालन समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
लघु समितियाँ	वित्त एवं कर्मचारी समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	प्रत्यायक (क्रेडेन्सियल) समिति	अलादि कृष्णास्वामी अय्यर
	सदन समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	कार्य संचालन समिति	डा. के.एम. मुंशी
	राष्ट्र ध्वज सम्बन्धी तदर्थ समिति	डॉ राजेन्द्र प्रसाद
	संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति	जी.वी. मावलंकर
	सर्वोच्च न्यायालय के लिए समिति	एस. वरदाचारी
	मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति	बी. पट्टाभिसीतारमैय्या
	संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों सम्बन्धी समिति	नलिनी रंजन सरकार
	भाषाई प्रांत आयोग	एस. के. डार
	प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति	जवाहरलाल नेहरू
	प्रेस दीर्घा समिति	उषा नाथ सेन
	नागरिकता पर तदर्थ समिति	एस. वरदाचारी

प्रारूप समिति

- **29 अगस्त, 1947** को नए संविधान का **मसौदा** तैयार करने के लिए **स्थापित** की गई थी ।
- **समिति के सात सदस्य निम्न है -**
  - डॉ. बी.आर. अम्बेडकर → अध्यक्ष ।
  - एन गोपालस्वामी अय्यंगर ।
  - अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ।
  - डॉ. के.एम. मुंशी ।
  - सैयद मोहम्मद सादुल्ला ।
  - एन.माधव राव (बी.एल.मित्र द्वारा स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने पर सदस्य बनाए गए)।
  - टी.टी. कृष्णमाचारी (1948 में डी. पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली) ।
- संविधान का **पहला प्रारूप** फरवरी, 1948 में तैयार किया गया ।
- **दूसरा प्रारूप** अक्टूबर, 1948 में प्रकाशित हुआ ।

संविधान का प्रभाव में आना

- **डॉ. बी.आर. अंबेडकर** ने 4 नवम्बर, 1948 को **अंतिम प्रारूप** पेश किया ।
- **प्रारूप पहली बार पढ़ा** गया, पाँच दिन तक आम चर्चा हुई ।
- संविधान पर **दूसरी बार** 15 नवम्बर, 1948 से विचार होना शुरू हुआ ।
- **तीसरी बा**र 14 नवम्बर, 1949 से विचार होना शुरू हुआ ।
- 26 नवम्बर, 1949 (**संविधान दिवस**) को पारित किया गया ।
- 26 नवम्बर, 1949 को अपनाए गए **प्रारूप संविधान में निहित** थे – प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ ।
- अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 में निहित नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधान और संक्षिप्त शीर्षक 26 नवम्बर, 1949 को लागू।
  - **शेष प्रावधान** 26 जनवरी, 1950 को **लागू** हुए।

- **संविधान** को **अपनाने** के साथ, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 के सभी **प्रावधान निरस्त** कर दिए गए।
- **एबोलिशन ऑफ़ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट** (1949) लागू रहा ।

संविधान सभा की आलोचना

- **प्रतिनिधि निकाय नहीं** - सीमित मताधिकार द्वारा चुनाव के कारण जनादेश प्रतिबिंबित नहीं हुआ ।
- एक **संप्रभु निकाय नहीं** - क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावों के आधार पर किया गया था और उनकी अनुमति से इसकी बैठक आयोजित की गई थी।
- **अमेरिकी संविधान** (जिसमें केवल 4 महीने लगे) की तुलना में **संविधान को तैयार करने में अधिक समय** लगा।
- **कांग्रेस** का **प्रभुत्व** रहा ।
- **वकीलों** और **राजनेताओं** का **वर्चस्व** रहा ।
- **हिन्दुओं का वर्चस्व** रहा ।

- **एस.एन. मुखर्जी** = संविधान के मुख्य प्रारूपकार (चीफ ड्राफ्टमैन)।
- **प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा** = सुलेखक (कैलिग्राफर)
  - संविधान के मूल शब्दों को **इटैलिक शैली** में लिखा ।
- **नंद लाल बोस** और **राममनोहर सिन्हा** सहित शांति निकेतन के **कलाकारों द्वारा सुशोभित** और सजाया गया।
- **हिन्दी संस्करण की सुलेख** = वसंत कृष्ण वैद्य ।
  - **नन्द लाल बोस** द्वारा **सजाया** और प्रकाशित किया गया।
- **हाथी** = संविधान सभा का **प्रतीक।**
  - **हाथी की छवि** सभा की **मुहर** पर खुदी हुई है।
- मूल रूप से, भारत के संविधान ने " **हिन्दी भाषा** में **संविधान के आधिकारिक** पाठ" के संबंध में कोई **प्रावधान नहीं** किया।
  - **हिन्दी प्रारूप**- 1987 के 58वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा बनाया गया जिसने संविधान के अंतिम भाग XXII में एक नया अनुच्छेद 394-ए सम्मिलित किया।

महत्वपूर्ण तिथियाँ - संविधान सभा से संविधान तक

संविधान सभा की प्रथम बैठक	उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया	संविधान अपनाया गया	सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित	संविधान लागू हुआ और संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया
9 दिसम्बर, 1946	13 दिसम्बर, 1946	26 नवम्बर, 1949	24 जनवरी, 1950	26 जनवरी, 1950

2 CHAPTER संविधान की मुख्य विशेषताएँ

- **सबसे लंबा लिखित संविधान -** इसमें शामिल हैं -
  - **राज्यों** और **केन्द्र** और उनके **अंतर्संबंधों** के लिए **अलग प्रावधान।**
  - दुनिया के **कई स्रोतों** और **संविधानों** से **उधार लिए गए** प्रावधान।

क्र.सं.	देश	ली गई विशेषताएँ
1	ऑस्ट्रेलिया	• समवर्ती सूची • व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता • संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
2	कनाडा	• सशक्त केन्द्र के साथ संघीय व्यवस्था • अवशिष्ट शक्तियों का केन्द्र में निहित होना • केन्द्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति • उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन
3	आयरलैंड	• राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत • राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन • राष्ट्रपति के चुनाव की विधि
4	जापान	• विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
5	सोवियत संघ (रूस(	• मौलिक कर्त्तव्य • प्रस्तावना में न्याय सामाजिक), आर्थिक और राजनीतिकका आदर्श (
6	यूके	• संसदीय शासन • विधि का शासन • विधायी प्रक्रिया • एकल नागरिकता • मंत्रिमंडल प्रणाली • परमाधिकार लेख • संसदीय विशेषाधिकार • द्विसदनवाद
7	अमेरिका	• मौलिक अधिकार • न्यायपालिका की स्वतंत्रता • न्यायिक समीक्षा • राष्ट्रपति का महाभियोग • सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना • उपराष्ट्रपति का पद
8	जर्मनी (वीमर)	• आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों का स्थगन
9	दक्षिण अफ्रीका	• भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया • राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव
10	फ्रांस	• गणतंत्र • प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार

  - **अनुसूचित जाति**, अनुसूचित **जनजाति**, **महिलाओं**, **बच्चों** और **पिछड़े क्षेत्रों** के लिए **अलग प्रावधान।**

- अधिकारों की **विस्तृत सूची, डीपीएसपी** और **प्रशासन प्रक्रियाओं** का **विवरण।**
- **मूल** रूप से)1949) में **एक प्रस्तावना**, **395 अनुच्छेद**) 22 भागों में विभाजित और (**8 अनुसूचियाँ** थीं।
- **वर्तमान** में, इसमें **एक प्रस्तावना**, **25 भाग, 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ** और अब तक के **104 संशोधन** शामिल हैं।

- **कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण -**
  - कुछ हिस्सों में **सामान्य कानून** बनाने की **प्रक्रिया** द्वारा **संशोधन** किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रावधानों को उस सदन की **कुल सदस्यता के बहुमत** से और उस सदन के **उपस्थित** और **मतदान** करने वाले सदस्यों के **कम से कम दोतिहाई सदस्यों-** के **बहुमत** से **संशोधित** किया जा सकता है।
  - कुछ **संशोधनों को राष्ट्रपति** के समक्ष **स्वीकृति** के लिए **प्रस्तुत** किए जाने से पहले कम से कम आधे **राज्यों के विधानमंडलों** द्वारा **अनुसमर्थित** करने की भी **आवश्यकता** होती है।
- **भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र के रूप में -**
  - भारत **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** के आधार पर अपने **निर्वाचित प्रतिनिधियों** के माध्यम से अपने **लोगों द्वारा शासित** होता है।
- **सरकार की संसदीय प्रणाली -**
  - संसद **मंत्रिपरिषद् के कामकाज** को **नियंत्रित** करती है।
  - कार्यपालिका **विधायिका के प्रति उत्तरदायी** होती है और जब तक उसे **विधायिका का विश्वास प्राप्त** है तब तक वह सत्ता में बनी रहती है।
    - भारत के **राष्ट्रपति**, जो **पाँच साल तक पद पर** बने रहते हैं, **नाममात्र** के या **संवैधानिक प्रमुख** होते (कार्यकारी) है।
    - प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी और मंत्रिपरिषद् (जो सामूहिक रूप से निचले सदन (लोकसभा) के प्रति जिम्मेदार होता हैं) के प्रमुख होते है ।
- **एकल नागरिकता -**
  - संघ द्वारा **एकल नागरिकता** प्रदान की जाती है और पूरे भारत में **सभी राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त** है।
- **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार -**
  - यह **सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार** की विधि के माध्यम से **भारत में राजनीतिक समानता** स्थापित करता है जो '**एक व्यक्ति एक वोट**' के आधार पर कार्य करता है।
  - प्रत्येक भारतीय जिसकी **आयु 18 वर्ष** या उससे अधिक है, **जाति, लिंग**, **नस्ल, धर्म** या **स्थिति** के बावजूद चुनाव में मतदान करने का हकदार है।
- **स्वतंत्र और एकीकृत न्यायिक प्रणाली -**
  - **कार्यपालिका** और **विधायिका** के **प्रभाव** से **मुक्त।**
  - **उच्च न्यायालय** और अन्य निचली अदालतें **सर्वोच्च न्यायालय** है, के नीचे आती हैं।
- **मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य और नीति निदेशक सिद्धांत -**
  - मौलिक अधिकार **अपरिवर्तनीय नहीं** हैं, लेकिन स्वयं संविधान द्वारा **परिभाषित सीमाओं** के **अधीन** हैं और न्यायालय के माध्यम से लागू किये जा सकते हैं।
  - राज्य के **नीति निदेशक सिद्धांत** शासन के संबंध में राज्यों द्वारा पालन किए जाने वाले **दिशानिर्देश** हैं और न्यायालय के माध्यम से **लागू नहीं** किये जा सकते ।
  - **42 वें संशोधन** द्वारा जोड़े गए मौलिक **कर्त्तव्य नैतिक विवेक पर आधारित** हैं जिनका **नागरिकों को पालन** करना चाहिए।
- **एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघीय प्रणाली -**
  - **भारत विनाशकारी राज्यों** का एक **अविनाशी संघ** है जिसका अर्थ है कि यह **आपातकाल** के समय **एकात्मक चरित्र** प्राप्त करता है।
- **न्यायिक सर्वोच्चता और संसदीय संप्रभुता के मध्य समन्वय -**
  - **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति के साथ एक **स्वतंत्र न्यायपालिका।**

भारतीय संविधान के भाग और अनुसूचियाँ-

भाग	विषय वस्तु -	संबंधित अनुच्छेद
भाग I	संघ और उसका क्षेत्र	अनुच्छेद 1 से 4
भाग II	नागरिकता	अनुच्छेद 5 से 11
भाग III	मौलिक अधिकार	अनुच्छेद 12 से 35
भाग IV	नीतिनिदेशक सिद्धांत-	अनुच्छेद 36 से 51
भाग IVA	मौलिक कर्त्तव्य	अनुच्छेद 51A
भाग V	संघ अध्याय I – कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद)52 से 78) अध्याय II – संसद अनुच्छेद)79 से 122) अध्याय III – राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद)123) अध्याय IV -केन्द्रीय न्यायपालिका अनुच्छेद)124 से 147) अध्याय V – भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अनुच्छेद) 148 से 151)	अनुच्छेद 52 से 151
भाग VI	राज्य अध्याय I – सामान्य नियमअनुच्छेद)152) अध्याय II – कार्यकारी शक्ति अनुच्छेद)153 से 167) अध्याय III – The State Legislature (अनुच्छेद 168 से 212) अध्याय IV – राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद)213) अध्याय V – उच्च न्यायालय अनुच्छेद)214 से 232) अध्याय VI – अधीनस्थ न्यायालय अनुच्छेद)233 से 237)	अनुच्छेद 152 से 237
भाग VII	पहली अनुसूची के B भाग में राज्यों के नियम, संविधान द्वारा निरस्त)7 वां संशोधनअधिनियम (, 1956	
भाग VIII	केन्द्र शासित प्रदेश	अनुच्छेद 239 से 242
भाग IX	पंचायत	अनुच्छेद 243 से 243O
भाग IXA	नगरपालिकाएँ	अनुच्छेद 243P से 243ZG
भाग IXB	सहकारी समितियाँ	अनुच्छेद 243H से 243ZT
भाग X	अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र	अनुच्छेद 244 से 244A

भाग XI	संघ और राज्यों के बीच संबंध अध्याय I -विधायी संबंध अनुच्छेद)245 से 255) अध्याय II – प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद)256 से 263)	अनुच्छेद 245 से 263
भाग XII	वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद अध्याय I – वित्त अनुच्छेद)264 से 291) अध्याय II – ऋण अनुच्छेद)292 से 293) अध्याय III – संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, देयताएँ, दायित्व और सूट अनुच्छेद)294 से 300) अध्याय IV – संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद)300-A)	अनुच्छेद 264 से 300A
भाग XIII	भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और अन्तर्राज्यीय सम्बन्ध	अनुच्छेद 301 से 307
भाग XIV	संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ	अनुच्छेद 308 से 323
भाग XIVA	न्यायाधिकरण	अनुच्छेद 323A से 323B
भाग XV	चुनाव	अनुच्छेद 324 से 329A
भाग XVI	कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान	अनुच्छेद 330 से 342
भाग XVII	आधिकारिक भाषा अध्याय I – संघ की भाषा अनुच्छेद)343 से 344) अध्याय II – क्षेत्रीय भाषाएँ अनुच्छेद)345 से 347) अध्याय III-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों, आदि की भाषा अनुच्छेद)348 से 349) अध्याय IV-विशेष निर्देश अनुच्छेद)350 से 351)	अनुच्छेद 343 से 351
भाग XVIII	आपातकाल के प्रावधान	अनुच्छेद 352 से 360
भाग XIX	विविध	अनुच्छेद 361 से 367
भाग XX	संविधान संशोधन	अनुच्छेद 368
भाग XXI	अस्थायी, ट्रॉजिशनल और स्पेशल प्रावधान	अनुच्छेद 369 से 392
भाग XXII	लघु उपाधि, कोम्मेंसमेंट, हिन्दी में आधिकारिक पाठ और निरसन	अनुच्छेद 393 से 395

अनुसूचियाँ संविधान में सूचियाँ हैं जो नौकरशाही गतिविधि और सरकार की नीति को वर्गीकृत और सारणीबद्ध करती हैं।

प्रथम अनुसूची	1. राज्यों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र। 2. केन्द्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमा।
द्वितीय अनुसूची	इसमें भारत राजराष्ट्रपति) व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों-, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदिको प् (राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है।
तृतीय अनुसूची	इसमें विभिन्न पदाधिकारियों राष्ट्रपति), उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशोंद्वारा (ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।-पद
चौथी अनुसूची	इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।
पांचवी अनुसूची	इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है।
छठी अनुसूची	इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।
सातवीं अनुसूची	इसमें केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है, इसके अन्तगर्त तीन सूचियाँ है - संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची।
आठवीं अनुसूची	इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से आंठवीं अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं, 1967 ई. में सिंधी को और 1992 ई. में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2004 ई. में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को आंठवीं अनुसूची में शामिल किया गया।
नौवीं अनुसूची	संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं।
दसवीं अनुसूची	यह संविधान में 52वें संशोधन, 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दलबदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख - है।
ग्यारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन)1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें पंचायतीराज संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं।
बारहवीं अनुसूची	यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन)1993) के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिय 18 विषय प्रदान किए गए हैं।